न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/167/2002/जोधपुर

श्रीमती छैलकवंर पत्नी धूलसिंह जाति राजपूत निवासी देवलिया तहसील व जिला जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

1 श्रीमती चन्दर कवंर बेवा बाबूसिंह
2 गनपतसिंह पुत्र बाबूसिंह सभी जाति राजपूत निवासी देवलिया तहसील व जिला जोधपुर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः श्री विरेन्द्रसिंह राठौड वकील अपीलार्थी
प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 18.6.2018

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 7/2001 में पारित निर्णय दिनांक 13.8.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक वाद संख्या 41/95 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा तथा रेकार्ड दुरूस्ती का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवलिया स्थित आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 53/2 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 7 रकबा 94 बीघा 05 बिस्वा वादीया के पति स्व0 बाबूसिंह के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी। बाबूसिंह का देहान्त हो गया। वाद में दिये सजरे अनुसार बाबूसिंह के वादीया पत्नी,

प्रतिवादी संख्या 1/ प्रत्यर्थी संख्या 2 गणपतसिंह पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 2/ अपीलार्थी पुत्रवधु होकर वारिस हैं। बाबूसिंह के स्वर्गवास के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम ही स्वीकार किया गया जबकि वादीया बाबूसिंह की पत्नी होकर वारिस है। वादीया का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा है। अतः वाद स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1/वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 2 ने इकबाली जबाबदावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2/ अपीलार्थी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 35.16 बीघा का नियमन प्रतिवादी सख्या 1 गणपतसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 के पति मूलसिंह उर्फ धूलसिंह के पक्ष में दिनांक 6.8.77 को नियमन किया गया है जिसमें वादीया का कोई हक हिस्सा नहीं है। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 5 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 1.11.2000 से वादीया का वाद स्वीकार कर खसरा नम्बर 53/2 में वादीया का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा घोषित किया एवं खसरा नम्बर 7 में 1/3 हिस्से में वादीया का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा घोषित किया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 2/ अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में प्रथम अपील संख्या 7/01 शीर्षक छैल कवंर बनाम चन्द्रकवंर प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.8.2001 से अपील खारिज कर दी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादीया/ प्रत्यर्थी संख्या 1 चंदर कवंर एक वृद्ध महिला है एवं उसकी देखभाल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बराबर करते आ रहे हैं। वादीया ने दावा गांव के एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बहकावे में आकर किया है जबकि उसे वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आराजी खसरा नम्बर 53/2 एवं खसरा नम्बर 7 में मृतक बाबूसिंह के दोनों पुत्रों का नाम दर्ज हो चुका था। बाबूसिंह के पुत्र धूलसिंह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अपीलार्थी का नाम दर्ज हुआ है जो विधि अनुरूप है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 मिलकर प्रतिवादी अपीलार्थी को उसके हक हिस्से से बेदखल करना चाहते हैं। आराजी खसरा नम्बर 53 गणपतसिंह एवं धूलसिंह को नियमन की गई है जिसमें वादीया का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादीया ने वाद लोगों के बहकावे में आकर किया है एवं वह अपने हिस्से की आराजीयात को खुर्द बुर्द कर सकती है जिससे अपीलार्थी के हित प्रभावित होते हैं। वादीया की सेवा एवं देखभाल अपीलार्थी करती है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

5. विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर दोनों पक्षो को सुनकर आराजी खसरा नम्बर 53 को प्रतिवादी संख्या 1 गणपतसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पति मृतक धूलसिंह को नियमन किया जाना मानते हुए शेष आराजीयात खसरा नम्बर 53/2 में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा घोषित किया। खसरा नम्बर 7 में मृतक बाबूसिंह का 1/3 हिस्सा होने से उस 1/3 हिस्से में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा घोषित किया। राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने समवर्ती निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज की है।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीया प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विवादित भूमि उनके पति बाबूसिह के खातेदारी की होना एवं बाबूसिंह की मृत्यु के बाद वादीया का 1/3 हिस्सा होना कथन करते हुए वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबाली जबाबदावा प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने आराजी खसरा नम्बर 53 गणपतसिंह एवं मृतक धूलसिंह प्रतिवादी संख्या 2 अपीलार्थी के पति के नाम नियमन किये जाने से वादीया का इसमें कोई हक हिस्सा नहीं होने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने इसी अनुरूप वाद का निर्णय किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इसी अनुरूप अपील का निस्तारण किया है।

7. यह स्पष्ट है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रतिवादी संख्या 2/ अपीलार्थी द्वारा जबाबदावे में उठाये गये तथ्यों को स्वीकार करते हुए ही वाद का निर्णय पारित किया है। जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। अपीलार्थी का यह तर्क कि वादीया ने गांव के व प्रतिवादी संख्या 1 के बहकावे में आकर वाद पेश किया है जबकि उसे वाद पेश करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस तर्क का इस स्तर पर कोई महत्व नहीं है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 की प्रथम सूचि के अनुसार मृतक बाबूसिंह खातेदार की भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर बाबूसिंह के पुत्रों के साथ साथ बाबूसिंह की बेवा का भी हक व हिस्सा बनता है। जिससे वादीया वाद प्रस्तुत कर अपना हिस्सा घोषित कराने की अधिकारी है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आराजी खसरा नम्बर 53/2 एवं खसरा नम्बर 7 में बाबूसिंह के हिस्से में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा घोषित किया है एवं आराजी खसरा नम्बर 53 गणपतसिंह एवं प्रतिवादी सख्या 2 के पति धूलसिंह को नियमन किये जाने के आधार पर दोनों का आधा आधा हिस्सा होना माना

है जो न्यायोचित है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं। द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिये गये आधारों पर ही प्रस्तुत की जा सकती है। धारा 224 का क्षेत्र एक सिमित क्षेत्र है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय दिनांक 13.8.2001 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य